कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

मांग–प्रपत्र

कार्य का नाम :– कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ़ (जयपुर) हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध करवाने के क्रम में।

कार्य लागत :– .....

फर्म का नाम .....

फर्म का पता :–.....

मोबाईल नं. .....

बैंक का नाम .....

खाता सं. .....

आईएफएस .....

क्र.सं.	अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज	वि. वि
1.	श्रम विभाग पंजीयन प्रमाण पत्र (स्थाई प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करे)	
2.	पेनकार्ड संख्या (प्रति संलग्न करें)	
3.	50 रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न प्रपत्र के अनुसार)	
4.	बैंक पास बुक/चैक की प्रति	
5.	आधार कार्ड/अन्य सरकारी पहचान पत्र	
6.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970	
7.	वस्तु एवं सेवाकर (GST) (प्रति संलग्न करे)	
8.	वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 यथा संशोधित को पालना का शपथ पत्र	

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

शर्तें

अन्य शर्तें :–

1. निविदा फार्म में अंकित दरों को किसी भी दिशा में परिवर्तित/कांट–छांट नहीं किया जाना चाहिए तथा कटिंग की गई हो तो पुनः स्पष्ट लिखकर लघु हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा, अथवा कांट–छांट के संबंध में कमेटी का निर्णय मान्य होगा।
2. पूर्व में ब्लेक लिस्टेड निविदादाता की निविदा मान्य नहीं होगी एवं जिन निविदादाताओं द्वारा गत वर्षों में अन्य संस्थानों में कार्य संतोषजनक नहीं किया गया है अथवा अपने कार्मिकों को समय पर भुगतान नहीं करने अथवा नियमानुसार पूर्ण भुगतान नहीं करने की शिकायत प्राप्त हुई है, उनकी निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगीं।
3. दरें सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के सरकारी टैक्स एवं अन्य व्यय (यदि हो) के सहित दी जावें। बिल/भुगतान राशि में से नियमानुसार आयकर (टीडीएस), जीएसटी एवं अन्य सरकारी टैक्सों की कटौती की जावेगी।
4. सफल निविदादाता को लिखित आदेश व निर्देशानुसार कार्य संपादित करना होगा। यदि कार्य सम्पादन में किसी प्रकार का विलम्ब किया जाता है तो राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ़ द्वारा अधिकतम ती नोटिस देकर निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।
5. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े पर नहीं देगा।
6. निविदा शर्तों व संलग्न दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर निविदादाता हस्ताक्षर कर पेश करेंगे।
7. दरें अनुमोदित होने के पश्चात् कार्यादेश भी प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ़ द्वारा जारी किया जावेगा। कार्य का भुगतान नियमानुसार किया जावेगा।
8. किसी भी प्रकार के विवाद में क्रय/निविदा समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं निविदादाता को मान्य होगा।
9. कार्यादेश जारी होने के 7 दिवस में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।
10. कार्य के पेटे किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
11. निविदा प्रक्रिया के निर्णय से सम्बद्ध कार्मिकों/अधिकारियों तथा संबंधित राजकीय महाविद्यालय जमवारामगढ़ के कार्मिकों/लोक सेवकों के परिजन निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
12. किसी भी निविदादाता की कोई शिकायत प्राप्त होने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
13. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
14. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

Scanned with OKEN Scanner

15. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। फर्म द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के भुगतान बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
16. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित फर्म का होगा।
17. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर फर्म को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा का अंतर तक राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
18. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही फर्म को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
19. राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व फर्म का होगा।
20. फर्म द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी फर्म की ही होगी। फर्म द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान नहीं किया जायेगा।
21. श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व फर्म का ही होगा। श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/दायित्वों के लिये फर्म स्वयं उत्तरदायी होगा।
22. फर्म एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी फर्म की होगी। इसके लिये प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, जमवारामगढ़ के समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
23. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने,

Scanned with OKEN Scanner

कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व फर्म का होगा।

24. यदि फर्म द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यनूतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को डेबर कराने की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

25. यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मध्यनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कराता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी 10 प्रतिशत की समक्ष स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को दिया जायेगा।

उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

26. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में फर्म किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित फर्म द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध करवाना होगा।

27. तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल फर्म से, दर संविदाओं के अंतिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, सामानान्तर दर संविदा की जा सकती है।

28. अनुबंधित फर्म द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरार किसी भी समय राज्य में किसी का दर संविदा कीमत से कम कीमत पर फर्म उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी।

29. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसकी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमतें इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।

30. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

31. बोलीदाता अपनी संविदा का या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या भाडे (Sub-Let) पर नहीं देगा।

32. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह 07 दिवस में सुरक्षा कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

33. बोलियों का उपवर्जन– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

उक्त निविदा अनुबंध हस्ताक्षर की दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी जिसे आपसी सहमति द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त निविदा शर्तें, जी–शीड्यूल एवं निविदा सूचना प्रकाशन भली भांति पढ़ व समझ ली गई है जिनसे में सहमत हूं।

दिनांक.....

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम व मोहर

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
जमवारामगढ़ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner